संख्याः 4532 / सत्रह–म–2003–10–1(47) / 98

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव,
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक मत्स्य,
   उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक
   उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,
   लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक
   उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0
   लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर,2003

विषयः– सिंचाई विभाग के 07 जलाशयों की उत्तर–प्रदेश मत्स्य विभाग को मछली पालन हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिंचाई, अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 5031 / 03–27–सिं–3–3(16) / 97, दिनांक 21 नवम्बर,2003 द्वारा सिंचाई विभाग के निम्नलिखित 07 जलाशयों को उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग को मछली पालन हेतु दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैः–

1–	शहजाद	जनपद ललितपुर
2–	सजनम	जनपद ललितपुर
3–	रोहिणी	जनपद ललितपुर
4–	राजघाट	जनपद ललितपुर
5–	उर्मिल	जनपद महोबा
6–	अदवा	जनपद मिर्जापुर
7	चित्तौड़गढ़	जनपद बलरामपुर

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के उक्त सात जलाशयों में से निम्नलिखित चार जलाशयों को तात्कालिक प्रभाव से मछली पालन हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन दिया जाता हैः–

1–	रोहिणी	जनपद ललितपुर
2–	राजघाट	जनपद ललितपुर
3–	उर्मिल	जनपद महोबा
4–	चित्तौड़गढ़	जनपद बलरामपुर

3– उक्त के क्रम में सिंचाई विभाग के निम्नलिखित तीन जलाशयों को तात्कालिक प्रभाव से मछली पालन हेतु उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ की प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन दिया जाता हैः–

1–	शहजाद	जनपद ललितपुर
2–	सजनम	जनपद ललितपुर
3–	अदवा	जनपद मिर्जापुर

4– सिंचाई विभाग के उपर्युक्त जलाशयों में मछली पालन हेतु प्रबन्ध व्यवस्था की कार्यवाही में उत्तर–प्रदेश मत्स्य विकास निगम एवं उत्तर–प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगाः–

(1) मत्स्य विभाग से संबंधित मछली पालन के पट्टे की नीलामी की प्रक्रिया में सिंचाई विभाग से संबंधित अधिशासी अभियन्ता की प्रभावी भूमिका हो, तथा नीलामी के संबंध में संबंधित अधिशासी अभियन्ता भी सदस्य के रूप में नामित हो।

(2) पट्टे की स्वीकृति निर्गत होने एवं उससे संबंधित अनुबन्ध की प्रति संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को भी दी जाये, जिससे मात्र अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रश्नगत क्षेत्र में प्रवेश कर सके।

(3) जलाशय से जल का संचालन सिंचाई विभाग के रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(4) निर्मित संरचनाओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुॅचाई जायेगी।

(5) मछली मारने हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायेगा न ही जलाशय के जल को प्रदूषित किया जायेगा।

(6) सिंचाई विभाग के संरचनाओं के संचालन/रख–रखाव से संबंधित किसी भी कार्मिक को डराया/धमकाया नही जायेगा एवं न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जायेगी जिससे शासकीय कार्यो के निष्पादन किया जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

(7) मछली मारने हेतु किसी भी प्रकार की अन्य असंवैधानिक कार्यवाही किया प्रयोग में नही लायी जायेगी यथा बिजली के करंट से मछली मारना आदि।

(8) जो जलाशय मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन को कालांतर में हस्तान्तरित किये गये है उनका मार्च,2003 तक समस्त सिंचाई विभाग से सम्बन्धित अवशेष रायल्टी का अंश शासनादेश निर्गत होने के तीन माह के अंदर सिंचाई विभाग के राजस्व लेखे में जमा कराना आवश्यक होगा, इसके साथ–साथ कालांतर में हस्तान्तरित जलाशय तथा अब प्रस्तावित जलाशय के मत्स्य से संबंधित समय–समय पर प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का 1/3 (एक तिहाई) भाग राजस्व की प्राप्ति के एक माह के अंदर मत्स्य विभाग के माध्यम से सिंचाई विभाग के लेखे में जमा कराना अनिवार्य होगा, परन्तु किसी अपरिहार्य परिस्थिति में इस सीमा में संशोधन सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के पश्चात किया जाना संभव होगा।

(9) उक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर उक्त अधिकार समाप्त किए जाने पर विचार किया जा सकता है तथा अधिकार समाप्त किए जाने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा दावा देय नही होगा।

5— कृपया उपर्युक्त शर्तो का पालन करते हुए सिंचाई विभाग के उपर्युक्त सात जलाशयों के मत्स्य पालन की कार्यवाही सार्वजनिक नीलामी के आधार पर शासनादेश संख्या 765/57—म—2000—5(69)/81, दिनांक 08 मार्च,2000 एवं संख्या 1383/57—म—2001—5(69)/81, दिनांक 11 अप्रैल,2001 तथा संख्या 1573/57—म—2000—5(69)81, दिनांक 20 अप्रैल,2001 व संख्या 2845/57—म—2002—5(69)/81, दिनांक 09 अगस्त,2002 में उल्लिखित नीति एवं निर्देशों के अनुसार सम्पादित की जाय।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।